

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मई, 2019

सं.फा. 21(81)/आरआर/ट्रेनिंग एडमिन/डब्ल्यूएसए-एसए/डीटीटीई/2017/354.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मशाला परिचारक/भंडार परिचारक के पद के भर्ती नियमों से संबंधित सरकार की दिनांक 1 जनवरी 1960 की अधिसूचना सं. फा. 4(62)/58-आर एण्ड एस के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण की गई या किए जाने के लिए हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भंडार परिचारक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात्.—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (i) इन नियमों को भंडार परिचारक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :-उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के साथ संबंध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि**:-उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।
5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :-जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :-इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
भंडार परिचारक	06* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रूपये 19900-63200/-)	लागू नहीं	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच* *पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाने की स्थिति में आयु सीमा 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। नोट-1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो अन्य उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, न कि, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन,

					हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख है।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है
7	8	9	10	11
अनिवार्य : (i) विज्ञान विषय (भैतिकी एवं रसायन) सहित मैट्रिकुलेशन । (ii) इंजिनियरिंग उपक्रम या हार्डवेयर स्टोर्स में स्टोरकीपिंग में दो वर्ष का अनुभव तथा स्टोर लैजर के रख-रखाव का ज्ञान । वांछनीय : यांत्रिक और विद्युतीय ट्रेड में आईटीआई प्रशिक्षित को प्राथमिकता	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा नोट : व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार में समरूप पदधारी अपने मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर कार्य करने वाले तथा कॉलम सात के अन्तर्गत उल्लिखित सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक तथा अन्य योग्यता रखने वाले अधिकारियों में से भरा जा सकता है।	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13
1. 'ग' वर्ग विभागीय स्थायीकरण समिति : (i) निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. -अध्यक्ष (ii) विशेष निदेशक/अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.- सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.-सदस्य	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शिव प्रताप सिंह, सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

NOTIFICATION

Delhi, the 9nd May, 2019

No. F. 21(81)/RR/TRG.ADMN./WSA-SA/DTTE/2017/354.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government notification No. F.4(62)/58-R&S dated the 01st January, 1960, relating to recruitment rules to the posts of Workshop Attendant/Store Attendant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Store Attendant of the Industrial Training Institutes in the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

- 1. Short title and commencement.**- (i) These rules may be called the Store Attendant, Recruitment Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of post, its classification and level in pay matrix.**- The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.- No Person,-**
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for the appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.**- Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.**- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification of the Post	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Store Attendant.	06* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial.	Level-2 in the Pay Matrix Rs. 19900-63200/-	Not applicable.	Between 18 years and 25 years*. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. (Relaxable for government candidate upto 40 years in accordance with instructions/order issued by Central Government from time to time) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing

					date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualification for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotion	Period of probation	Method of recruitment : whether by direct recruitment/promotion/deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential (i) Matriculation with Science subjects (Physics and Chemistry). (ii) Two years experience in Store Keeping in Engineering Undertaking or Hardware stores and knowledge of maintenance of store ledger. Desirable Preferably ITI trained in Mechanical and Electrical Trades.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government/State Government, holding analogous posts on regular basis in the parent cadre /department and possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruit under column No. 7.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee for Confirmation consisting of: i. Director, Department of Training and Technical Education, GNCT of Delhi- Chairman	Not applicable.

ii. Special Director / Additional Director, Department of Training and Technical Education. GNCT of Delhi - Member	
iii. Administrative Officer, Department of Training and Technical Education. GNCT of Delhi - Member	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SHEO PRATAP SINGH, Secy., TTE